30/4/20

Date 11/04/19

①

भूमि हस्तांतरण
(Land Alienation)

नवीनतम आँकड़ों के अनुसार जनजातिय जनसंख्या का लगभग 88% भाग कृषक है। जनजातियों का अपनी भूमि से बहुत भावात्मक लगाव रहा है। जीवन-यापन के लिए कृषि ही एक ऐसा साधन है, जिस पर ये लोग सदियों से निर्भर है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में इन स्थितियों का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मैदानों में रहने वालों की भाँति जनजातिय लोग भी भूमि की स्वामित्व की तीव्र इच्छा रखते है। झूम खेती करने वाले भू-स्वामी होने के विभिन्न कारण है। अस्थायी कृषकों की संख्या लगातार बढ़ रही है तथा झूम का दायरा सिकुड़ रहा है इसके साथ स्थायी कृषकों की भी संख्या में वृद्धि हुई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि की मांग में वृद्धि हुई है।

हमारे देश में प्रतिव्यक्ति भूमि 1 एकड़ से भी कम है जबकि यह दर अमेरिका में 7.5 एकड़, रूस में 4.5 एकड़ है। कृषि पर निर्भर प्रति-प्रत्येक व्यक्ति के पास औसत रूप से 1.6 एकड़ भूमि है यह औसत विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग है। उत्तरी क्षेत्र – 1.61 एकड़

पूर्वी क्षेत्र – 1.85 एकड़

दक्षिणी क्षेत्र :– 1.17 एकड़

पश्चिमी क्षेत्र – 2.21 एकड़

मध्य क्षेत्र – 2.57 एकड़

उत्तरीपश्चिम क्षेत्र – 2.59 एकड़

आँकड़ों की कमी के कारण प्रत्येक क्षेत्र में जनजातियों की भूमि का अलग-अलग निर्धारण संभव नहीं है परन्तु विभिन्न राज्यों के कुछ उदाहरणों के द्वारा स्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार

Scanned with CamScanner

Date ___ / ___ / ___

गुजरात विद्यापीठ ने 1959 में गुजरात के साम्बर कांठा जिले के खेद ब्रह्म, जनजातिय विकास खण्ड की आयोग के में एक सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण से यह पता चला कि 4591 परिवारों में केवल 12 परिवार के भूमिहीन थे तथा प्रत्येक परिवार के पास औसत 5.32 एकड़ जमीन थी,

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि सभी जनजातिय क्षेत्रों के भू-स्वामित्व में समानता नहीं है। इन जनजातियों की भूमि अधिकतर अन्न उपजाऊ है। यद्यपि इन लोगों की भूमि का क्षेत्र अजनजातिय कृषकों से अधिक है परन्तु कोई लाभ नहीं होता है। इसके कारण अन्न उपजाऊ पुरानी तथा घिसी पीटी तकनीकी तथा लगातार बढ़ती ऋणग्रस्तता।

भूमि हस्तांतरण जैसी समस्या के मूल में पहुँचने से पूर्व सामान्य स्थितियों का विवेचन करना अनुचित होगा, संचार व्यवस्था में विस्तार होने के कारण समस्त जनजातिय क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए खुल गए हैं। ये बाहरी लोग इन क्षेत्रों में अपने-अपने उद्देश्यों एवं स्वार्थों के साथ प्रवेश कर गए। इनमें से भूमि अधिग्रहण करने वाले शक्तिशाली लोगों ने जनजातियों को सबसे अधिक परेशान किया।

Date 18/04/19

भूमि हस्तांतरण के कारण

धन की कमी भूमि हस्तांतरण के मुख्य कारणों में से एक है जब से ये जनजातियाँ सभ्य समाज तथा इसकी वित्त संस्थाओं के सम्पर्क में आई। धन की कमी के कारण उनकी भूमि का हस्तांतरण बढ़ता गया, विवाह, उत्सवों, कपड़ों, मदिरा, तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए जनजातिय लोगों को सदैव धन की आवश्यकता रहती है। कम उपज तथा दुर्बल कृषि व्यवस्था के कारण इन्हें खाद्य सामग्री भी बाजार से खरीदनी पड़ती है। इस प्रकार भूमि हस्तांतरण से साहूकारों तथा दुकानदारों के ऋण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साहूकार इन्हें किसी भी समय किसी भी उद्देश्य के लिए बिना शर्त एवं

Date ___/___/_____

जमानत के बजाय ऋण देने को तैयार रहते है इन जनजातिय लोगों को केवल एक सादे कागज पर अंगूठा लगाना पड़ता है। जिससे ये अनपढ़ आदिवासी पढ़ नही सकते, केवल मौखिक बात-चीत के द्वारा ही ऋण प्राप्त हो जाता है जो बाद में हानिकारक साबित होता है। इन लोगों को अपनी भूमि गवानें के साथ-साथ दासता का जीवनव्यतीत करना पड़ता है।

कुछ समय से इन जनजातियों ने राज्य की सहकारी ऋण समीतियों से ऋण लेना प्रारंभ किया है परन्तु इन समीतियों के साथ उनके अनुभव अच्छे नहीं रहें। अधिकतर सहकारी समीतियाँ कम समय के लिए ऋण देती है तथा यह ऋण केवल उत्पादक उद्देश्यों जैसें:- कृषि आदि के लिए दिए जाते है। जनजातिय लोगों को अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सहकारी समीतियों का ऋण न चुका पाने की स्थिति में जेल लेजाने या उसकी सम्पति हड़प कर लिए जानेकी घटनाओं से भी ये लोग डरते है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये लोग बढ़ी हुई ब्याज की दरों पर भी साहूकारों से ऋण लेना अधिक सुरक्षित समझते है। जनजातियो की भूमि हस्तांतरण समस्या पूरे देश में फैला हुआ है परन्तु उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य-प्रदेश में यह अपनी चरम सीमा पर है।

भूमि हस्तांतरण के मुक्ति के प्रयास या सुझाव

भूमि हस्तांतरण के तीन मूल कारणों:-

I. न्याय व्यवस्था में कमी
II. जनजातिय लोगों की उपेक्षा
III. पेचिद्दा न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए

I. विभिन्न राज्य सरकारें जनजातियों की सहायता के लिए प्रयास कर रही है। परन्तु असम, मणिपुर, मिजोरम के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों

Page No. ______

Date ___/___/_____

पर अधिक लाभ नहीं हुआ है।

जनजातियों की भूमि की सुरक्षा के लिए उठाये गए विभिन्न वैधानिक कदमों की चर्चा से पूर्व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की सलाह का अध्ययन करना उचित रहेगा जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियम बनाए इन आयोगों की मुख्य सलाह थी जो निम्नलिखित है :—

(1.) "जनजातिय भूमि से सम्बन्धित सभी नियमों की पुर्ण अवलोकन की आवश्यकता है। जटिल व्यवस्थाओं, जिनके कारण जनजातियों को समुचित सहायता नहीं मिली, इसका भी परीक्षण होना चाहिए। सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू नियमों तथा अधिनियमों का पुर्नपरीक्षण होना चाहिए। तथा जनजातिय भूमि के अजनजातिय लोगों के पक्ष में हो रहे भूमि हस्तांतरण पर रोक लगानी चाहिए। बहुत से वर्तमान नियमों में संशोधन की आवश्यकता है यदि इन व्यवस्थाओं मेंसमय लगे तो ऐसी दशा में राज्यपालों को 5वीं अनुसूची द्वारा दिए गए अधिकारों का तुरन्त नए नियमों की घोषणा करनी चाहिए।"

(2.) "हम यह भी सलाह देते हैं कि सभी प्रकार के हस्तांतरण पर निषेध होना चाहिए। किसी भी क्रय-विक्रय, उपहार या किसी समझौते के अन्तर्गत जनजातिय लोगों की सम्पति का अजनजातिय लोगों के पक्ष में हस्तांतरण बिना उपायुक्त (DC) की अनुमति के मान्य नहीं होना चाहिए। जनजातिय सलाहकार समीति की सलाह से सरकार को नियम बनना चाहिए जो प्रत्येक क्षेत्र की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त की अनुमति पर नियंत्रण रखें।"

(3.) "इस संबंध में उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों पर किसी प्रकार के मुकदमें या प्रार्थना पत्र पर रोक होनी चाहिए। न्यायालय को इस प्रकार के विक्रय

Page No. [ ]

Date ___/___/___

उपहार या किसी समझौते से सम्बन्धित मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनुमति जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपायुक्त से ऐसे हस्तांतरण पर अनुमति है या नहीं।

4. उपायुक्त को शोषित जनजातिय लोगों के प्रतिनिधित्व पर 18 वर्ष के भीतर किसी भी प्रकार की जाँच करने तथा बिना किसी भुगतान के भूमि वापस दिलाने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रावधान के अन्तर्गत सभी प्रकार के भूमि हस्तांतरण जो 26 जनवरी 1950 के बाद हुई है, आने चाहिए। इन नियमों के पालन तथा लागू करने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. अन्त में हम यह सलाह देते हैं कि सभी प्रकार के समर्पन्न या स्वीकृत राज्य सरकार के समक्ष होनी चाहिए जो इनकी भूमि को ट्रस्टी की भांति अपने पास रखे हुए हैं।

उपरोक्त सलाह तथा राय के समय निम्नलिखित नियम लागू थे जो कि अधिक प्रभावी तथा सुरक्षात्मक बनायी जानी थी उद्देश्य से या तो संशोधित किए गए यह उनमें परिवर्तन किया गया।:-

I. आंध्रप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि हस्तांतरण अधि विनियम -1959

II. अनुसूचित क्षेत्र में सम्पति विनियम -1951

III. मध्य-प्रदेश अनुसूचित जनजाति विनियम -1954

IV. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व राजस्व कोड -1959

V. मुम्बई काश्तकारी तथा कृषि भूमि सुधार अधिनियम -1948

VI. उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अंचल सम्पति हस्तांतरण विनियम -1956

VII. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955

Stop 6 chapter 30/4/20